नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 25 Jul 2025 - 25raj1
epaper.navabharat.news

# अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे निलंबित आबकारी अफसर

## जिला न्यायालय से सभी की अग्रिम जमानत अर्जी हो चुकी खारिज

नवभारत ब्यूरो । रायपुर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर ईओडब्ल्यू/एसीबी शराब घोटाले मामले में आबकारी अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसे लेकर सत्ता और संगठन के बीच मतभेद तेजी से बढ़ रहा है। भाजपा सूत्रों की मानें तो पार्टी का एक खेमा आबकारी अफसरों के निलंबन को पर्याप्त नहीं मान रहा है। बल्कि भविष्य में केस को कमजोर करने की साजिश करार दे रहा है, जिससे आबकारी अफसरों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है।

उल्लेखनीय है कि शराब घोटाले में राज्य शासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए >> शेष पेज 5 पर

### दबी जुबान से शराब नीति की ही आलोचना

आबकारी विभाग के अफसरों के बीच दबी जुबान से राज्य शासन की शराब नीति को लेकर ही आलोचना हो रही है। उनके मुताबिक वर्ष 2017 में जब तात्कालीन भाजपा सरकार ने यह निर्णय लिया कि शराब की बिक्री सरकार करेगी, तभी से गड़बड़ी शुरू हो गई। हालांकि इससे सरकार का राजस्व बढ़ा, मगर नीति के चलते ही गड़बड़ी की आशंका भी बढ़ गई है। अफसर यह भी मानते हैं कि अब नीति में भी बदलाव करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि नीति बदली भी जाती है, तो सरकार की कई वेलफेयर स्कीम बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर शराब के मामले में सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बहुत सावधानी बरतनी होगी और काम करना होगा, तभी विभाग चलेगा।